Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पंचायत समिति राजगढ़, अलवर में निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान में कमीशन के नाम पर 5 लाख रुपये रिश्वत लेते बीडीओ एवं तीन मध्यस्थ गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा शुक्रवार देर रात जयपुर–अलवर में विभिन्न जगहों पर एक साथ कार्यवाही करते हुये नेतराम ब्लॉक विकास अधिकारी, पं.स. राजगढ़ अलवर, मध्यस्थ लोकेश मीणा, कृष्णकान्त मीणा एवं जयप्रताप सिंह को परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेने के प्रकरण में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा पं.स. राजगढ़ क्षेत्र में ट्यूबवेल खुदाई के किये गये कार्यों के बकाया 14 लाख के बिलों के भुगतान करवाने में कमीशन के रूप में मध्यस्थ लोकेश मीणा एवं जयप्रताप सिंह द्वारा नेतराम ब्लॉक विकास अधिकारी, पं.स. राजगढ़ जिला अलवर के नाम पर परिवादी से **9 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** एवं एसीबी की विभिन्न टीम द्वारा जयपुर–अलवर में एक साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी मध्यस्थ लोकेश मीणा के कहने पर जयपुर में मध्यस्थ के बड़े भाई कृष्णकान्त मीणा को परिवादी से **5 लाख रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में एसीबी की तीन अलग–अलग टीमों द्वारा आरोपी नेतराम ब्लॉक विकास अधिकारी, पं.स. राजगढ़ जिला अलवर, मध्यस्थ लोकेश मीणा एवं जयप्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी जयप्रताप सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में **20 हजार रुपये** वसूल कर लिये गये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।